न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 141 सन 2019

अनवान :–

1. अकरम पुत्र मोहम्मद अली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1. मोहम्मद अली पुत्र मंगले खा जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
2. असलम पुत्र मोहम्मद अली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 15.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 382/307 के खसरा न0 321/10.1550हैक खसरा न0 365/5.9440हैक खसरा न0 415/5.8430हैक खसरा न0 416 की 0.7210हैक कुल तादादी 22.6630हैक भूमि स्थित है जिसके मोहम्मद अली पुत्र मंगलेखा सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 407/297 की कुल 19.5640हैक भूमि सयुक्त तौर से मोहम्मद अली सयुक्त तौर से 71–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मंगलेखा के नाम दर्ज थी वादी के दादा मंगलेखा का देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उसके पुत्रों पर औद हुई और वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 382/307 की कुल 22.6630हैक मे से सयुक्त तौर से 896–1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 407/297 की कुल 19.564हैक भूमि में सयुक्त तौर से 71–1/2 हिस्सा भूमि आई जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 काफी वृद्व हो चुका है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक

हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्रों के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजरव रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्य 2 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 382/307 की कुल तादादी 22.6630हैक भूमि में से सयुक्त तौर से 896–1/4 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 407/297 की कुल 19.564हैक भूमि में सयुक्त तौर से 71–1/2 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी सख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official